(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉं (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07 / 2024

पंजीकरण सं. :– 2024 / 39

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉं

(सायल)

बनाम

पवन उम्र 28वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति तेली निवासी वार्ड नं. 5, हाट चौक, अटरू जिला बाराँ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 05.04.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल पवन पुत्र श्री बाबूलाल तेली निवासी वार्ड नं. 5, हाट चौक, अटरू जिला बारां के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉं द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्ध पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (08) एवं भादस (01) के तहत दर्ज हुए है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉं जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में [illegible] अतः इसके विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को [illegible] उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 27.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में गैरसायल के द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (08) एवं भादस (01) के तहत दर्ज हुए है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मेरे विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (08) एवं भादस (01) के तहत दर्ज हुए है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं एवं परिवार का मुखिया होने के कारण परिवार के पालन–पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर है। अतः निवेदन है कि मेरे विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (08) एवं भादस (01) के तहत दर्ज हुए है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि पवन पुत्र श्री बाबूलाल तेली निवासी वार्ड नं. 5, हाट चौक, अटरू जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2(आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल पवन पुत्र श्री बाबूलाल तेली निवासी वार्ड नं. 5, हाट चौक, अटरू जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, अटरू से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल पवन पुत्र श्री बाबूलाल तेली निवासी वार्ड नं. 5, हाट चौक, अटरू जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र अटरू से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, कवाई को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 28.04.2024 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना, अटरू जिला बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **05.04.2024** को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:35 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ